समक्ष जी.एस. सिंहवी और अजय कुमार मित्तल, माननीय न्यायमूर्ति

आर.टी. पैकेजिंग प्राइवेट लिमिटेड —याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और & अन्य —उत्तरदाता

C.W.P. No. 8915 of 2004

29 नवंबर, 2004

भारत का संविधान, *1950* — कला. *226* — हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, *2003* — *61 (2) (*डी*)* — हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, *2003* — हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, *1973* — याचिकाकर्ता द्वारा औद्योगिक इकाई की स्थापना — प्राधिकारी द्वारा पात्रता और छूट प्रमाण पत्र — वैट अधिनियम पारित — बिक्री कर छूट को कर स्थगन में परिवर्तित करने का निवेदन — अस्वीकृति- *1973* अधिनियम के रद्द होने के बाद क्या प्रार्थी को बिक्री कर में छूट का लाभ उठाने के लिए पूरी राशि की बैंक गारंटी को प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है- अभिनिर्धारित , नहीं — याचिकाकर्ता ने पहले से ही *15%* की बैंक गारंटी और शेष *85%* के लिए ज़मानती दे दिये हैं — वैट नियम यह कहीं नहीं कहते कि डीलर की आवश्यकता है कि वह *100%* बैंक गारंटी प्रस्तुत करे — यह माँग कानूनी और न्यायसंगत नहीं माना जा सकता है- यूचिका को अनुमति व आकलन प्राधिकरण को निर्देशित की वह प्रार्थी को स्थगन प्रमाण पत्र जारी करे।

हेल्ड, उपर्युक्त प्रावधानों को संयुक्त ढंग से पढ़ने पर यह पता चलता है कि *1973* अधिनियम की धारा *13*-बी और *25*-ए जिसके तहत *1973* अधिनियम के रद्द होने के बावजूद उद्योगिक इकाइयों द्वारा ली गई छूट लागू रहेगी हालाँकि इसका लाभ प्रतिबंधनों और शर्तों के अधीन होगी। जो उद्योगिक इकाई *1973* अधिनियम के तहत बिक्री कर छूट के लाभ को प्राप्त कर चुकी है, उसे शेष अवधि और शेष राशि में कर भुगतान में छूट को कर स्थगन में परिवर्तित करने का विकल्प दिया गया है। एक उद्योगिक इकाई को

या तो पांच वर्षों के बाद विलंबित कर की अदायगी करने का विकल्प दिया गया है या वह प्राथमिक भुगतान के साथ आगे कर का *50%* भुगतान कर सकती है, ताकि वह पूर्ण विलंबित कर के दायित्व से मुक्त हो सके। विलंबित किए गये कर को बिना ब्याज के ऋण में बदलने की आवश्यकता होती है। यदि कोई उद्योगिक इकाई कर की छूट को विलंबन में बदलती है, तो उसे विलंबन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अवधि में उत्पादन को ऐसे स्तर पर बनाए रखना चाहिए जो छूट की अवधि में औसत वार्षिक टर्नओवर से कम ना हो और वह राज्य में उत्पादित कोई भी सामान का निर्यात राज्य के बाहर नहीं करेगी । जिले के अधिकारी को फॉर्म *VAT-A5* में आवेदन प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदन सभी पहलुओं में सम्पूर्ण है, सही है और समय पर है, और यह एक वास्तविक उद्योगिक इकाई द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र *(VAT-G 14)* के *15* दिनों के भीतर किया गया है । *VAT* अधिनियम के तहत छूट का लाभ पाने वाली इकाई को विलंबित कर की पूर्ण राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करनी होती है, जबकि *1975* नियमों के अनुसार किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया गया है कि विलंबावधि के सम्पूर्ण अवधि के लिए सुरक्षा को अविरत रखना होगा और यदि सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा वापस दी जानी है और दी नहीं जाती है, तो वह असुरक्षित राशि के भुगतान का विलंब या उसका लाभ प्राप्त नहीं करेगा और तुरंत ब्याज के साथ पूर्ण राशि को वसूला जाएगा। *VAT* नियमों के नियम *69* के उप-नियम *(6)* में यह भी कहा गया है कि कर की अधूरी राशि को औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देखा जाएगा, जो राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है।

(पैरा 9)

प्रार्थी ने 15% तक बैंक गारंटी प्रदान की थी और शेष 85% को सुरक्षा बॉण्ड के रूप में प्रदान किया था, जो 393.40 लाख रुपये के थे, जो 1973 अधिनियम के तहत विक्रय कर की छूट की राशि के बराबर है। जैसा पहले भी देखा गया, यह वैट अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ

समर्थन में है। प्रतिवादियों द्वारा विक्रय कर की छूट को ऋण की रूप में परिवर्तित करने के लिए 100% बैंक गारंटी प्रदान करने की माँग को क़ानूनी सही नहीं माना जा सकता क्योंकि नियम 69 का उपनियम 6 और संलग्न R-1 कहीं भी यह नहीं कहते की इकाई को 100% बैंक गारंटी देनी चाहिए। इसलिए, ऋण के प्रदान के लिए 100% बैंक गारंटी की मांग को मंजूर नहीं किया जा सकता।

(पैरा 10)

सुश्री जैश्री ठाकुर, याचिकाकर्ता के वकील

जसवंत सिंह, प्रतिवादी के वरिष्ठ उप महाधिवक्ता, हरियाणा

निर्णय

अजय कुमार मित्तल**,** माननीय न्यायमूरती

(1) यह संविधान के अनुच्छेद 226/227 के तहत एक याचिका है जिसमें हरियाणा मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (संक्षेप में "वैट अधिनियम") की धारा 61 (2) (d) के प्रावधानों को भारत के संविधान के विरुद्ध घोषित करने के लिए और विकल्प में प्रतिवादी संख्या 3 को यह निर्देश देने के लिए कि वह प्रार्थी को मूल्य वर्धित कर अधिनियम और हरियाणा मूल्य वर्धित कर नियम, 2003 (संक्षेप में ' वैट नियम') के अन्तर्गत देरी प्रमाण पत्र जारी करें।

(2) हम इस याचिका में उठने वाले मुद्दों को निर्धारित करने के लिए संक्षेप में तथ्यों पर ध्यान देते हैं। याचिकाकर्ता ने धारुहेड़ा के इंडस्ट्रियल इस्टेट, फेज-II, जिला रेवाड़ी में एक उद्योगिक इकाई, जो प्रिंटेड पॉलिएस्टर / पेपर्स और लैमिनेट का उत्पादन करती है, और जिसका उद्घाटन 21 सितंबर, 1909 को हुआ था, में Rs. 344.29 लाख रुपए का निवेश किया था । हरियाणा सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1973 व हरियाणा सामान्य बिक्री कर नियम, 1975 (संक्षेप में "1975 नियम") के तहत छूट प्राप्त करने के लिए प्रार्थी ने पात्रता और छूट प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया। प्राधिकरण ने फॉर्म ST.-72-A के अनुसार 393.40 लाख रुपए का पात्रता प्रमाण पत्र जारी किया। इसके बाद, छूट प्रमाण पत्र को 22 जुलाई, 2002 को जारी किया गया था। 22 सितंबर, 1999 से 31 मार्च, 2003 की अवधि के दौरान,

याचिकाकर्ता ने देशीय और केंद्रीय बिक्री Rs 11,19,77,082/- की करी और Rs 76,77,933 की छूट प्राप्त की।

(3)वैट अधिनियम को पारित किये जाने के बाद और वैट नियमों को तैयार किये जाने के बाद, याचिकाकर्ता ने विक्रय कर की छूट को कर स्थगन में स्थानांतरित करने के लिए फॉर्म वैट-A5 में आवेदन दिया और आवश्यक सुरक्षा आवश्यकता को जमा कराने के लिए समय देने का अनुरोध किया।

(4) याचिकाकर्ता की यह शिकायत है कि हालाँकि यह वैट अधिनियम और वैट नियमों के द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा करता है, संबंधित प्राधिकारी ने प्रार्थी को समय देने और सुरक्षा स्वीकार करने की बजाय, विक्रय कर की छूट को कर स्थगन में स्थानांतरित करने के लिए बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा। याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि उसने पहले ही 15% बैंक गारंटी प्रस्तुत की थी और शेष 85% ज़मानती के रूप में 393.40 lakh रुपये सुरक्षा दी थी। इसलिए स्थगन की संपूर्ण राशि के लिए पूर्णतः बैंक गारंटी की मांग का कोई क़ानूनी या अन्य औचित्य नहीं है।

(5) प्रतिवादी संख्या 1, 2, 3 की ओर से दायर जवाबदावे में यह विवादित नहीं है कि औद्योगिक इकाई की स्थापना के बाद प्रार्थी को पात्रता एवं छूट प्राप्ति प्रमाण पत्र दिये गये थे और उसने 22 सितंबर, 1999 – 31 मार्च, 2003 तक बिक्री कर की छूट प्राप्त की थी। यह भी विवादित नहीं है कि वैट अधिनियम एवं वैट नियमों के पारित होने के बाद छूट प्रमाण पत्र के लिए एक आवेदन दिया गया था। हालाँकि छूट प्रमाण पत्र के लिए प्रार्थी की पात्रता को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि की उसने 15 अक्तूबर, 2003 तक नोटिस के बावजूद भी आवेदन दायर नहीं किया था। प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दायर जवाब दावे में उन्हींने यह भी कहा है कि प्रार्थी को इसलिए छूट प्रमाण पत्र नहीं दिया जा सकता क्योंकि उसने आवश्यक बैंक गारंटी और सुरक्षा पत्र नहीं प्रस्तुत किए है।

(6) हमने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुन लिया है और रिकॉर्ड का अवलोकन कर लिया है।

(7) इस प्रार्थना में निर्णय के लिए उत्पन्न होने वाला मुख्य प्रश्न यह है कि क्या 1973 अधिनियम के VAT अधिनियम द्वारा रद्द होने के बाद, यदि प्रार्थी ने 15% तक की बैंक गारंटी और शेष 85% राशि के लिए सुरक्षा पत्र प्रस्तुत किए हो, क्या उसे पहले से ही 1973 अधिनियम के तहत दी गई विक्रय कर छूट के स्थान पर कर विलंब के लिए पूरी राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के लिए कहा जा सकता है।

(8) वैट अधिनियम की धारा 61 (2) (d), जिसमें स्थगन के बारे में बताया गया है, और वैट नियमों के नियम 69 और 70, जो स्थगन की प्रक्रिया को बताते हैं इस प्रकार से पढ़े जाएँगे : –

> "61 (2) (d) इसके बावजूद कि उप-अनुच्छेद (1) में कुछ भी हो, उस अधिनियम की धारा 13-बी और धारा 25-ए और उसके तहत बनाए गए नियम (जिसे यहां "मौजूदा नियम" कहा जाएगा), औद्योगिक इकाइयों को कर सुविधा से संबंधित निम्नलिखित अपवाद, प्रतिबंध और शर्तों के अधीन रहेंगे :-
>
> (i) "कोई औद्योगिक इकाई जो कर भुगतान से छूट का लाभ उठा रही हो, प्रारूपित तरीके से शेष अवधि के लिए कर भुगतान के स्थगन का आवेदन कर सकती है और बचे हुए लाभ की शेष राशि के लिए या ऐसी अवधि और ऐसे लाभ की श्रेणी जैसा कि प्रारूपित हो सकता है, लेकिन जहां कोई औद्योगिक इकाई ऐसा नहीं करती, तो इस छूट का लाभ अधिनियमित दिनांक से प्रारम्भ होकर रुक जाएगा और इसके अतिरिक्त,–

(I) इसे उत्पादन को ऐसे स्तर पर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा ताकि इसकी वार्षिक टर्नओवर छूट की अवधि के दौरान औसत वार्षिक टर्नओवर से कम न हो;

(II) यह अपने द्वारा उत्पादित किसी भी सामान को राज्य के बाहर निर्यात नहीं करेगा।"

नियम **69** और **70**

69. (1) " कोई औद्योगिक इकाई, जो वर्तमान नियमों के अनुसार कर भुगतान से छूट का लाभ उठा रही है या पूंजी अनुदान का लाभ उठा रही है, इन नियमों के लागू होने के पंद्रह दिनों के भीतर, फॉर्म VAT-A5 में आवेदन कर सकती है, जिसमें उल्लिखित दस्तावेज़ों के साथ जिले के अधिकारी-इन-चार्ज को विकल्प बताते हुए अपनी इच्छा दर्शाती है कि वह बची हुई अवधि और बची हुई लाभ की राशि के लिए कर देरी करना चाहती है। कोई भी आवेदन यदि समय सीमा के भीतर न किया गया हो, तो उसे पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। अधूरा या गलत विवरण वाला आवेदन, जिसमें आवश्यक दस्तावेज़ न हों तो उसे निरर्थक माना जाएग अगर मौक़ा मिलने पर भी आवेदक उसे सही नहीं करता है या/ और पूरा नहीं करता है।"

1. (2) "उप-नियम (1) के तहत किए गए आवेदन प्राप्त होने पर, जिले के प्रभारी अधिकारी की संतुष्टि के बाद कि आवेदन समय में है, सभी मामलों में सही और पूरा है और आवेदक वास्तविक औद्योगिक इकाई है, पांद्रह दिनों के भीतर, छूट प्रमाणपत्र के स्थान पर फॉर्म VAT-G14 में अद्यतित प्रमाण पत्र दे देगा जहां आवेदक इकाई कर भुगतान से छूट का लाभ उठा रही थी, और अद्यतित प्रमाणपत्र फॉर्म-G15 में, जहां आवेदक-इकाई कैपिटल सब्सिडी के लाभ का उपयोग कर रही थी, जो दी गई दिनांक से प्रभावी होगा और इकाई को

पांच वर्षों के लिए कर भुगतान में देरी देने का हक देगा। इकाई कर देरी के लाभ उठाने की बजाय, विकल्प चुन सकती है, जिसमें उप-नियम (1) के तहत किए गये आवेदन में क्वार्टरली रिटर्न भरने के लिए निर्धारित समय से पहले कर का आधा भुगतान कर सकती है, और जहां ऐसा किया जाता है, तो उस इकाई को उस अवधि के लिए और कोई कर देने की जिम्मेदारी नहीं होगी और इकाई द्वारा लाभ उठाए गए कर की गणना और ग्राहक को दिया गया इनपुट कर, यदि वह योग्य है, तो वह कुल भुगतान माना जाएगा। यह सुविधा उन इकाइयों के लिए भी उपलब्ध होगी, जिन्होंने प्रारंभिक दिनांक से पहले कर भुगतान में देरी उठाई थी, यदि इस संबंध में लिखित रूप से जिले के प्रभारी अधिकारी को पंद्रह दिनों के भीतर जानकारी भेजती है। प्रमाणपत्र या संशोधित प्रमाण पत्र उन शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन होगा, जो उसमें निर्दिष्ट किए गए होंगे या उन नियमों के अधीन जिसके तहत उस आवेदक को पात्रता/ प्राधिकरण प्रमाणपत्र जारी किया गया था।

(3) "जहाँ किसी इकाई के पास एक प्राधिकरण या संशोधित प्राधिकरण प्रमाणपत्र हो, और वह कर भुगतान में देरी का लाभ उठाने का विकल्प चुनती है, तो यदि उसे मौजूदा नियमों के अधीन भुगतान के लिए कोई सुरक्षा जमा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह ध्यान देना चाहिए कि भविष्य में जो कर भुगतान की रकम को देरी से जमा किया जाना होगा, उसके पूरी रकम के लिए आवश्यक सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। सुरक्षा की रकम इन परिस्थितियों में अग्रिम में प्रदान की जानी चाहिए, वर्ष के भुगतान की रकम के लिए या अगर यह एक महीने से कम है तो बचे हुए अवधि के लिए वर्ष के शुरुआत में या अवधि के अंत से पहले या उस समय जब सुरक्षा की राशि कम होती है, तो एक महीने के भीतर अतिरिक्त सुरक्षा उचित राशि में देनी

चाहिए। सुरक्षा को पूरे अवधि तक पूरी रूप से बनाए रखा जाना चाहिए, जब तक देरी से भुगतान पूरी तरह से नहीं होता। यदि कोई इकाई समय पर सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा नहीं प्रदान करती है, तो वह असुरक्षित राशि के भुगतान के लाभ के पात्र नहीं होती है और ऐसा कर की इस प्रकार से तुरंत ब्याज समेत वसूली की जा सकती है, जैसे कि इकाई को इस कर की देरी से भुगतान के लिए अधिकार नहीं था।"

(4) उप-नियम (2) के तहत किसी प्राधिकरण के ज़िलाधिकारी पात्रता या संशोधित पात्रता प्रमाण पत्र जारी करते समय, अपने रिकॉर्ड से पुष्टि करने के बाद उसमें शेष अवधि और बची हुई लाभ की सीमा को दर्शाएंगे और इस तरह के प्रमाण पत्रों के साथ और उनके द्वारा प्राप्त लाभ का रिजिस्टर फॉर्म VAT-G16 में रिकॉर्ड रखेंगे।

(5) जहां एक औद्योगिक इकाई, कर के भुगतान से छूट का लाभ उठा रही है या इसके तहत पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठा रही है मौजूदा नियम फॉर्म वैट-A5 में आवेदन करने में विफल रहते हैं तो निर्धारित समय के भीतर उप-नियम (1) के अनुसार छूट प्रमाण पत्र या पात्रता प्रमाण पत्र क्रियान्वित होना बंद हो जाएगा और ऐसी औद्योगिक इकाई नियत दिन से कर भुगतान से छूट या पूंजीगत सब्सिडी का लाभ उठाने की हकदार नहीं होगी।

(6) प्रत्येक उद्योग के संबंध में वार्षिक आधार पर कर की आस्थगित राशि को ब्याज मुक्त ऋण में परिवर्तित किया जाएगा जैसा कि राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित होगा।

धारा 61 की उपधारा 2 के खंड d के भाग I की शर्तें (I) और (II) को पूरा न करने पर हुए किसी भी बकाया राशि का भुगतान बारह महीने में बारह बराबर किस्तों में बिना ब्याज के किया जाएगा।

70. (1) अधिनियम के तहत प्रस्तुत की जाने वाली सुरक्षा, निम्नलिखित रूपों में हो सकती है, अर्थात्: –

(a) "सरकारी खजाने में नगद जमा हेड '0040-विक्रय, व्यापार आदि पर कर' के तहत।"

(b) डाकघर बचत बैंक खाता, खाता आयुक्त या लिखित रूप में उनके द्वारा अधिकृत किसी अधिकारी को गिरवी रखा खाता ;

(c) एक अनुसूचित बैंक से बैंक गारंटी जो राज्य सरकार की मांग पर सुरक्षा की राशि को भुगतान करे ;

(d)सुरक्षा की राशि के सत्यापन के लिए एक व्यक्तिगत बॉण्ड और साथ में सक्षम जमानतदार/जमानतदारों के साथ जो सुरक्षा की राशि के लिए अधिकारी की संतोषप्राप्ति के अनुसार होगा, जिसे इन नियमों के अंतर्गत उपलब्ध अनुमानित मूल्य के गैर न्यायिक स्टाम्प पर फॉर्म VAT-B2 पर तैयार किया जाएगा। और

(e)भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक या समय-समय पर निर्धारित बैंक द्वारा जारी किए गए ऐसे बचत प्रमाण पत्र या बांड या निश्चित जमा रसीदें जो आयुक्त या प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी को गिरवी रखे हो।

(2) धारा 12 की उप-धारा (1), (2), (4), और (6) के तहत दी गई सुरक्षा को पूर्ण रूप से तब तक बनाए रखा जाएगा जब तक कि पंजीकरण प्रमाणपत्र लागू है।

(3)यदि किसी कर, ब्याज, दंड या किसी अन्य राशि के भुगतान में कोई अक्षमता हो, तो व्यापारी को सूचित करने के बाद उस द्वारा जमा की गई सुरक्षा को उस राशि के लिए समायोजित किया जाएगा और सुरक्षा की राशि की कमी को, यदि अन्यथा निर्धारित नहीं किया गया हो, सूचित की गई तारीख से पाँद्रह दिनों के भीतर उपधारा 1 के अनुसार पूरा किया जाएगा।

(4) धारा 31 की उप-धारा (6) के तहत प्रस्तुत सुरक्षा ज़ब्त कर ली जाएगी यदि भुगतान की समय सीमा के भीतर अग्रिम कर, दंड या ब्याज का भुगतान नहीं किया जाता ।"

(5) उपर्युक्त प्रावधानों को संयुक्त ढंग से पढ़ने पर यह पता चलता है कि 1973 अधिनियम की धारा 13-बी और 25-ए जिसके तहत 1973 अधिनियम के रद्द होने के बावजूद उद्योगिक इकाइयों द्वारा ली गई छूट लागू रहेगी हालाँकि इसका लाभ प्रतिबंधनों और शर्तों के अधीन होगी। जो उद्योगिक इकाई 1973 अधिनियम के तहत बिक्री कर छूट के लाभ को प्राप्त कर चुकी है, उसे शेष अवधि और शेष राशि में कर भुगतान में छूट को कर स्थगन में परिवर्तित करने का विकल्प दिया गया है। एक उद्योगिक इकाई को या तो पांच वर्षों के बाद विलंबित कर की अदायगी करने का विकल्प दिया गया है या वह प्राथमिक भुगतान के साथ आगे कर का 50% भुगतान कर सकती है, ताकि वह पूर्ण विलंबित कर के दायित्व से मुक्त हो सके। विलंबित किए गये कर को बिना ब्याज के ऋण में बदलने की आवश्यकता होती है। यदि कोई उद्योगिक इकाई कर की छूट को विलंबन में बदलती है, तो उसे विलंबन की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अवधि में उत्पादन को ऐसे स्तर पर बनाए रखना चाहिए जो छूट की अवधि में औसत वार्षिक टर्नओवर से कम ना हो और वह राज्य में उत्पादित कोई भी सामान का निर्यात राज्य के बाहर नहीं करेगी । जिले के अधिकारी को फॉर्म VAT-A5 में आवेदन प्राप्त होने पर यह सुनिश्चित करना होता है कि आवेदन सभी पहलुओं में सम्पूर्ण है, सही है और समय पर है, और यह एक वास्तविक उद्योगिक इकाई द्वारा जारी छूट प्रमाण पत्र (VAT-G 14) के 15 दिनों के भीतर किया गया है । VAT अधिनियम के तहत छूट का लाभ पाने वाली इकाई को विलंबित कर की पूर्ण राशि के लिए सुरक्षा प्रदान करनी होती है, जबकि 1975 नियमों के अनुसार किसी भी सुरक्षा की आवश्यकता नहीं होती थी। इसके अतिरिक्त, यह भी कहा गया गया है कि विलंबावधि के सम्पूर्ण अवधि के लिए सुरक्षा को अविरत रखना होगा और यदि सुरक्षा या अतिरिक्त सुरक्षा वापस दी जानी है और दी नहीं जाती है, तो वह असुरक्षित राशि के भुगतान का विलंब या उसका लाभ प्राप्त नहीं करेगा और तुरंत ब्याज के साथ पूर्ण राशि को वसूला जाएगा। VAT नियमों के नियम 69 के उप-नियम (6) में यह भी कहा गया है कि कर की अधूरी राशि को औद्योगिक इकाइयों के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में देखा जाएगा, जो राज्य सरकार के उद्योग विभाग द्वारा वार्षिक आधार पर निर्धारित किया गया है। नियम 70 औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रस्तुत की जा सकने वाली सुरक्षा के लिए प्रपत्र देता है। धारा (डी) में यह उल्लेख किया गया है कि सुरक्षा की राशि के लिए सक्षम सुरक्षा या सुरक्षाएँ से व्यक्तिगत बॉण्ड फॉर्म VAT-B2 के अनुसार होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, उद्योग विभाग ने 16 दिसंबर, 1992 को एक आदेश जारी किया है जिसमें एक योजना तैयार की गई है जो प्रतिवादी संख्या 2 और 3 द्वारा दिये गये जवाब दावा के साथ अनुलग्न किया गया है। इस स्कीम की धारा 4 निम्नलिखित है:

"प्रतिभूतियाँ"

योग्य औद्योगिक इकाई निम्नलिखित में से कोई एक प्रतिभूति प्रस्तुत करेगी : –

(i)संपत्ति पर पहला शुल्क / पैरी-पासु शुल्क आस्थगित जिस पर कर / ऋण सुरक्षित लिया जा रहा है.

(ii)ऋण राशि में समान मूल्य वाली गारंटी धन्य संपत्ति पर पहली चार्ज

(iii)केंद्रीय, राज्य वित्तीय संस्थान, राष्ट्रीय / अनुसूचित बैंक द्वारा इकाई को वित्तपोषित किए जाने की स्थिति में दूसरा प्रभार बशर्ते पर्याप्त मार्जिन परिसंपत्तियों पर उपलब्ध हो।

(iv)बैंक गारंटी के रूप में ऋण राशि का 15% और व्यक्तिगत जमानत के रूप में 85%।"

(10) उपर्युक्त के परिपेक्ष्य में, अब हम विचार करेंगे कि क्या प्रतिवादियों द्वारा प्रार्थी द्वारा दायर स्थगन का आवेदन वैधिक रूप से सही है । प्रार्थी ने 15% तक बैंक गारंटी प्रदान की थी और शेष 85% को सुरक्षा बॉण्ड के रूप में प्रदान किया था, जो 393.40 लाख रुपये के थे, जो 1973 अधिनियम के तहत विक्रय कर की छूट की राशि के बराबर है। जैसा पहले भी देखा गया, यह वैट अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के साथ समर्थन में है। प्रतिवादियों द्वारा विक्रय कर की छूट को ऋण की रूप में परिवर्तित करने के लिए 100% बैंक गारंटी प्रदान करने की माँग को क़ानूनी सही नहीं माना जा सकता क्योंकि नियम 69 का उपनियम 6 और संलग्न R-1 कहीं भी यह नहीं कहते की इकाई को 100% बैंक गारंटी देनी चाहिए। इसलिए, ऋण के प्रदान के लिए 100% बैंक गारंटी की मांग को मंजूर नहीं किया जा सकता।

---

(11)परिणाम में, रिट याचिका को अनुमति दी जाती है। आकलन प्राधिकरण को दिनांक 2 जून, 2003 के आवेदन के संदर्भ में इस निर्णय की प्रमाणित प्रति की प्राप्ति / प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने के भीतर

स्थगन प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्देशित किया जाता है। हालाँकि, लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं।

(12) जाने से पहले, हम स्पष्ट करना चाहेंगे कि प्रार्थी के वकील ने वैट अधिनियम की धारा 61(2)(d) के अधिकारिता के सवाल पर कोई बहस नहीं की, इसलिए हमने उस सवाल पर निर्णय देने से परहेज किया है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

उदित अग्रवाल

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

करनाल, हरियाणा